प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 24 अप्रैल, 2017**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-बी.ए.(1)20/वित्तीय स्वीकृति/2017-18, दिनांक 13.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना हेतु वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 05 माह के व्यय हेतु रू0-2982.50 लाख (रू0 उन्तीस करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख रू0 में

मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्राविधान**	**स्वीकृत धनराशि**
27-सब्सिडी	7158.60	2982.75

(रू0 उन्तीस करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा एवं कार्य योजना का अनुमोदन कराये बिना धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जाएगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में नियोजन विभाग का अनुमोदन प्राप्त होगा। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा ,जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। योजना का मिड टर्म वैल्यूएशन किसी थर्ड पार्टी से कराया जायेगा। योजना में अपेक्षित कम्प्यूटर/हार्डवेयर की पूर्ति हेतु विभाग में अन्य योजनाओं के माध्यम से पूर्व से उपलब्ध संसाधनों के लिए उक्त योजनाओं से डबटेलिंग कर व्यय को यथासंभव नियंत्रित एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में ओवरलैपिंग नहीं होगी।

4- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-2348(1)/12-3-2013-100(61)/2012, दिनांक 12.7.2013 द्वारा कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट/संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। योजना के अनुश्रवण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-4968/12-3-2013-100(61)/2012, दिनांक 23.10.2013 द्वारा प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की प्रत्येक 03 माह पर बैठक समिति के संयोजक द्वारा आयोजित करायी जायेगी। योजनान्तर्गत चार्टेड एकाउटेंट फर्म के चयन के संबंध में न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित किये गये निविदा प्रपत्र विषयक शासनादेश संख्या-3351/12-3-2013-100(61)/ 2012टी.सी., दिनांक 11.10.2013 के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।

6- योजनान्तर्गत कृषि विभाग की समस्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले समस्त प्रकार के कृषि निवेशों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन मॉनीटरिंग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैए अतरू इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नही ंरखी जाएगी, यदि ऐसा प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1- 285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

10- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

12- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-113-कृषि इंजीनियरी-05-सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.01.2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-30/2017/378(7)/12-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर कृषि निदेशक (प्रसार) कृषि भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन)/सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैए अतरू इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in